जिला :– अररिया, बिहार।

<u>न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, अररिया।</u>

उपस्थित–विनीत कुमार सिंह,

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, अररिया।

(निर्णय तिथि–13वीं मई 2026)

(स्पेशल एस0सी0/एस0टी0 वाद संख्या –167/2018)

(रजि0 सं0–167/2018)

(आरोप अंतर्गत धारा–147, 148, 341/149, 324/149, 307/149, 302/149, 504/149, 323/149, 506/149 भा0दं0सं0 एवं 3(2) (v) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)

राज्य द्वारा सूचक लालमुणी देवी, पे0– प्रकाश दास
साकिन–मियांहाट, वार्ड–9, भागकोहलिया, थाना– फारबिसगंज, जिला–अररिया

.....सूचक।

अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता– 1. श्री कलानंद राम (विशेष लोक अभियोजक)

बनाम्

(1)–सुनील साह उर्फ सुनील कुमार उर्फ सुनील कुमार साह, पे0– स्व0 बंदे लाल साह, उम्र–51वर्ष (A1)

(2)–चंदन साह उर्फ चंदन कुमार साह, पे0– सीताराम साह, उम्र–33वर्ष (A2)

(3)–रंजन साह उर्फ रंजन कुमार साह उर्फ रंजन कुमार, पे0– सीताराम साह, उम्र–26वर्ष (A3)

(4)–ललिता देवी उर्फ लविता देवी उर्फ नबिता देवी उर्फ बबीता कुमारी, पे0– सुनील साह उर्फ सुनील कुमार उर्फ सुनील कुमार साह, उम्र–45वर्ष (A4)

(5)–चांदनी देवी उर्फ चांदनी कुमारी, पे0– चंदन साह उर्फ चंदन कुमार, उम्र–31वर्ष (A5)

(6)–आरती देवी उर्फ आरती कुमारी, पे0– राहुल कुमार गुप्ता, उम्र–29वर्ष (A6)

सभी साकिन– मियांहाट, चौरापरवाहा, वार्ड–9, थाना– फारबिसगंज, जिला– अररिया।

(7)–दिलीप साह उर्फ दिलीप कुमार साह, पे0– स्व0 बंदे लाल साह, उम्र–67वर्ष (A7)

साकिन–खाबदह कनहैली, वार्ड–7, थाना– नरपतगंज, जिला–अररिया

.....अभियुक्तगण।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता– श्री मानव विजयंत, विद्वान अधिवक्ता, अररिया।

फार्म–B

प्राथमिकी की तिथि–	09.12.2017
आरोप पत्र की तिथि–	30.07.2018
आरोप का गठन की तिथि–	17.12.2024
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि–	15.01.2025
अभियोजन साक्ष्य बंद होने की तिथि–	16.04.2026
धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत बयान की तिथि–	23.04.2026
निर्णय संरक्षित करने की तिथि–	12.05.2026
निर्णय की तिथि–	13.05.2026
दण्डादेश की तिथि, यदि है तो–	नहीं

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर मुक्त होने की तिथि	आरोप	दोषमुक्ति / दोषसिद्धि	दण्ड की मात्रा	धारा 428 द0प्र0सं0 के उद्देयों के लिये, विचारण के दौरान अभिरक्षा– अवधि
A1	सुनील साह उर्फ सुनील कुमार उर्फ सुनील कुमार साह	.....	29.05.2018	147, 148, 341 / 149, 324 / 149, 307 / 149, 302 / 149, 504 / 149, 323 / 149, 506 / 149 भा0दं0सं0 एवं 3(2)(v) एस0सी0 / एस0 टी0 एक्ट	दोषमुक्त		
A2	चंदन साह उर्फ चंदन कुमार साह	03.05.2018	14.08.2018	.....DO.....	दोषमुक्त		
A3	रंजन साह उर्फ रंजन कुमार साह उर्फ रंजन कुमार	03.05.2018	27.09.2018	.....DO.....	दोषमुक्त		
A4	ललिता देवी उर्फ लविता देवी उर्फ नबिता देवी उर्फ बबीता कुमारी	.....	07.05.2018	.....DO.....	दोषमुक्त		

A5	चांदनी देवी उर्फ चांदनी कुमारी	.....	19.02.2018	.....DO.....	दोषमुक्त		
A6	आरती देवी उर्फ आरती कुमारी	.....	19.02.2018	.....DO.....	दोषमुक्त		
A7	दिलीप साह उर्फ दिलीप कुमार साह	03.06.2018	01.10.2018	.....DO.....	दोषमुक्त		

निर्णय

01. उपरोक्त नामित अभियुक्तगण **1. सुनील साह उर्फ सुनील कुमार उर्फ सुनील कुमार साह** (A1), **चंदन साह उर्फ चंदन कुमार साह** (A2), **रंजन साह उर्फ रंजन कुमार साह उर्फ रंजन कुमार** (A3), **ललिता देवी उर्फ लविता देवी उर्फ नबिता देवी उर्फ बबीता कुमारी** (A4), **चांदनी देवी उर्फ चांदनी कुमारी** (A5), **आरती देवी उर्फ आरती कुमारी** (A6), **दिलीप साह उर्फ दिलीप कुमार साह** (A7) को धारा 147, 148, 341/149, 324/149, 307/149, 302/149, 504/149, 323/149, 506/149 भा0दं0सं0 एवं 3(2) (v) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अंतर्गत दण्डनीय अपराध हेतु आरोपित एवं विचारित किया गया।

02. सूचक लालमुणी देवी के लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप में यह है कि दिनांक–08.12.2017 को शाम के करीब 06:30 बजे उसका मामा का लड़का मिसु कुमार जो पान की दुकान चलाता है, अचानक सुनील साह, रंजन साह, चंदन साह, दिलीप साह, ललिता देवी, चांदनी देवी, आरती देवी आए और मारपीट करना शुरू कर दिए। सूचिका द्वारा विरोध करने पर रंजन साह, चंदन साह, सुनील साह सभी उसका हाथ पकड़ कर बुरी नियत से ले जाने लगे। जब सूचिका की बहन सोनी कुमारी उसे बचाने आई तो दबिया से सिर पर वार कर दिया जिससे उसका सिर फट गया। सूचिका के पिता को लोहे के रड से सिर पर प्रहार कर सिर फोड़ दिया जिससे वह बेहोश हो गए जिसके बाद उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया जहां से बेहतर ईलाज हेतु बाहर रेफर कर दिया। अभियुक्तगण दुकान का सारा सामान लूट लिया और नगद पांच हजार रूपया भी गल्ला से निकाल लिया तथा धमकी दिया कि जान से मार देंगे।

03. सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 147, 148, 149, 341, 323, 324, 307, 302, 354बी, 379, 504, 506/34 भा0दं0सं0 एवं 3(2) (v) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अंतर्गत फारबिसगंज थाना काण्ड संख्या– 921/2017 दिनांक–09.12.2017 दर्ज किया गया। सम्यक अन्वेषण के पश्चात् अन्वेषण अधिकारी द्वारा आरोप पत्र संख्या–321/2018, दिनांक–30.07.2018 अंतर्गत धारा

147, 148, 149, 341, 323, 324, 307, 302, 354, 504, 506/34 भा0दं0सं0 एवं 3(2) (v) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में अभियुक्तगण के विरूद्ध दाखिल किया गया, जिसके आधार पर इस न्यायालय के द्वारा दिनांक–06.09.2018 को उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र की धाराओं में ही संज्ञान लिया गया।

04. इस न्यायालय में अभियुक्तगण की उपस्थिति पूर्ण होने पर दिनांक–17.12.2024 को धारा 147, 148, 341/149, 324/149, 307/149, 302/149, 504/149, 323/149, 506/149 भा0दं0सं0 एवं 3(2) (v) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अंतर्गत आरोप का गठन कर उसे हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिससे उसने इन्कार किया तथा विचारण का दावा किया।

05. अभियोजन द्वारा अपनी ओर से कुल 07 मौखिक साक्षियों का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कुल एक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। दिनांक–16.04.2026 को अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर अभियोजन साक्ष्य बंद कर दिया गया तथा दिनांक–23.04.2026 को धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त का बयान दर्ज किया गया, जिमसें उसने स्वयं को निर्दोष बताया है।

06. दिनांक–04.05.2026 को बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन पर सफाई साक्ष्य बंद कर दोनों पक्षों का बहस सुना गया। दिनांक–12.05.2026 को दोनों पक्षों का बहस पूर्ण हुआ।

07. अब न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अपने द्वारा लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है ?

:– मंतव्य –:

08. अभियोजन द्वारा अपने कथानक के समर्थन में 07 मौखिक साक्षियों **PW-01** हीरामणी कुमारी, **PW-02** लालमुणी कुमारी(सूचक), **PW-03** मिटठू कुमार, **PW-04** रूपचंद दास, **PW-05** मुसा अली, **PW-06** रामानंद दास, **PW-07** सुरेन्द्र दास का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में लिखित आवेदन पर सूचक के हस्ताक्षर को प्रदर्श–1 अंकित किया गया है। इसके विपरीत बचाव पक्ष द्वारा कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

09. सर्वप्रथम सूचक लालमुणी देवी (**PW-02**) के साक्ष्य का विश्लेषण किया जायेगा। उन्होने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथित किया है कि यह केस उसने सुनील साह, सीताराम साह, रंजन साह, चंदन साह, दिलीप साह, ललिता देवी, चांदनी देवी, राखी देवी, आरती देवी पर की है। यह घटना 2017 की, साढ़े छह बजे शाम की है। उसके मामा के दुकान पर झगड़ा हो रहा था। मारपीट किया और गाली गलौज किया। उसकी बहन सोनी कुमारी भी आई, उसे भी चोट लगा, उसका सिर फट गया, सरकारी अस्पताल में ईलाज कराया था। पुलिस उसका बयान ली थी, आवेदन थाना के मुंशी से

लिखवाई जिसपर उसका हस्ताक्षर है। साक्षी अपने हस्ताक्षर की पहचान की जिसे प्रदर्श–1 अंकित किया गया। साक्षी नें न्यायालय में उपस्थित चंदन और रंजन को देखकर पहचान किया।

साक्षी नें अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि इस घटना के बारे में उसकी बहन सोनी कुमारी नें उसे बताया था। सोनी कुमारी जैसा बताई थी उसी के आधार पर केस कर दी तथा उसी आधार पर कोर्ट में गवाही भी दी थी। जिस स्थान पर घटना घटी थी उस स्थान पर करीब आधा घंटा बाद वह पहुंची थी। वह एवं सोनी कुमारी अभियुक्तों से मेल–मिलाप कर लिए हैं। उसका भाई मिट्ठू भी मेल–जोल कर लिया है। मेल–जोल राजीखुशी से हुआ है तथा मेल के कागज पर हस्ताक्षर भी किया है। उसे कोई सरकारी अनुदान नहीं मिला है। अगर न्यायालय के द्वारा उसका मुकदमा बंद कर दिया जाए तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। अभियुक्तगण उसके मोहल्ला के हैं इसलिए जानती है।

10. **PW-01** हीरामणी कुमारी नें अपने मुख्य परीक्षण में कथित किया है कि यह केस लालमुनी देवी ने किया है। सुनील साह, रंजन साह, चंदन साह, कुल 7 आदमी पर किया है। यह घटना लगभग 7–8 साल की है। समय 6.30 बजे शाम का है। मारपीट हुआ था और उसे भी चोट लग गया था। सभी आसामीयों को पहचानती हूँ।

उक्त साक्षी नें अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि लड़ाई झगड़ा होते हुए वह नही देखी। आसामी लोगों ने क्या घटना किया था उसे जानकारी नही है। उसके सर में दर्द था उसी की इलाज करवाई उसे किसी ने मारा नही था। आसामी लोग उसके आसापास के है इसलिए जानते है और इनलोगों से मिलजुल है। जो बात आज न्यायालय में बता रही हूँ यही बात पुलिस में बताई हूँ। वह राजी खुशी से मेलजोल कर रही है।

11. **PW-03** मिट्ठू कुमार, ने अपने मुख्य परीक्षण में कथित किया है कि यह केस लालमणि देवी ने की है। सुनील साह, रंजन साह, सीताराम साह, चंदन साह कुल सात अभियुक्तों पर की है। यह घटना 08.12.2017 का है। समय साढ़े छह बजे शाम था। जिस समय हम पहुंचे वहां लड़ाई–झगड़ा हो गया था। अभियुक्तगण भी वहीं पर था। सोनी कुमारी का सर फट गया था। गाली–गालौज और मारपीट हुआ था। सोनी कुमारी का सरकारी अस्पताल में ईलाज हुआ था। मेरा पुलिस में बयान हुआ था। आज रंजन कुमार न्यायालय में उपस्थित है, जिसे मैं पहचानता हूं। बाकी को देखकर पहचान लूंगा।

उक्त साक्षी नें अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि घटना उसके सामने में नहीं घटी थी। घटना के बारे में उसे सोनी कुमारी बतायी। सोनी कुमारी के बताए अनुसार ही पुलिस में वह बयान दिया था और वहीं आज न्यायालय में बयान दिया है। घटना के बारे में उसको कोई निजी जानकारी नहीं है। आज नोटिस पर गवाही देने आया है।

अभियुक्तगण समाज के हैं इसलिए पहचानते हैं। आसामीगण से मेल–जोल हो गया है। मेल के कागज पर हम हस्ताक्षर किए हैं।

12. PW-04 रूपचंद दास, ने अपने मुख्य परीक्षण में कथित किया है कि यह केस लालमुनी देवी की है। यह केस सुनील साह, सीताराम साह, चंदन साह, रंजन साह कुल सात व्यक्ति पर किया है। अभियुक्तगण गाली–गलौज एवं मारपीट किया। सोनी कुमारी का सर फट गया था। सोनी कुमारी का ईलाज हुआ था। उसका पुलिस में बयान हुआ था। आज न्यायालय में चंदन साह उपस्थित है, पहचानते है। अन्य लोगों को देखकर पहचान लेगा।

उक्त साक्षी नें अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि आसामीगण उसके घर के आसपास के हैं इसलिए पहचानते हैं। घटना के बारे में उसे निजी जानकारी नहीं है। घटना के बारे में उसे लालमुनी देवी ने बतायी थी। जैसे लालमुनी देवी ने उसे बतायी थी वैसा ही न्यायायल में आकर गवाही दिया है। आज जो बात न्यायालय में बताए हैं, वही बात पुलिस को भी बताया था। जब वह घटनास्थल पर पहुंचे थे तो वहां से दोनों पक्ष घटनास्थल से जा चुके थे।

13. PW-05 मुसा अली, ने अपने मुख्य परीक्षण में कथित किया है कि यह केस लालमुनी देवी की है। यह केस सुनील साह, रंजन साह, चंदन साह कुल सात व्यक्ति पर किया है। घटना का लगभग साढ़े सात साल हुआ है। समय साढ़े छः शाम था। जब वह हटिया जा रहा था तो देखा कि दोनों पक्षों में मारपीट हो रहा था। पुलिस में उसका बयान हुआ था। आज न्यायालय में दिलीप साह उपस्थित है, जिसे पहचानता है। अन्य को देखकर पहचान लेगा।

उक्त साक्षी नें अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि घटना होते हुए वह अपनी ऑख से नहीं देखा। घटना के बारे में उसे मुदईया लालमुनी देवी बतायी। लालमुनी देवी जो बात उसे बतायी थी वही बात वह पुलिस को बताया था। आज नोटिस पर गवाही देने आया है। अभियुक्तगण उसके गांव के आसपास के हैं, इसलिए पहचानता है। घटना की उसे कोई निजी जानकारी नहीं है।

14. PW-06 रामानंद दास, ने अपने मुख्य परीक्षण में कथित किया है कि यह केस लालमुनी देवी की है, सीताराम साह, सुनिल साह, रंजन कुमार साह वगैरह कुल सात आदमी पर केस किया है। घटना करीब सात साल पहले की है, संध्या साढ़े छः बजे की है। लड़ाई–झगडा हुआ था, उसी में केस कर दिया था। वह न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त रंजन कुमार साह की पहचान किया तथा अन्य अभियुक्तों को भी देखकर पहचान लेने का दावा किया है। उसने पुलिस में भी यही बयान दिया था।

उक्त साक्षी नें अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि कोर्ट से नोटिस मिला है, तब आज गवाही देने के लिए आया है। उसे घटना की कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। वह कोई घटना होते हुए भी नहीं देखा है। कौन घटना किया, किसके साथ घटना किया, क्या घटना हुआ, इसकी कोई जानकारी उसे नहीं है। अभियुक्तगण उसके पी.

डी.एस. दुकान क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, इसलिए पहचानता है। पुलिस में उसका कोई गवाही नहीं हुई थी।

15. PW-07 सुरेन्द्र दास, ने अपने मुख्य परीक्षण में कथित किया है कि यह केस लालमुनी देवी नें सीताराम साह, चंदन साह, सुनिल साह सहित कुल सात आदमी पर किया है। घटना सात–आठ साल पूर्व की है। समय 6–7 बजे शाम की है। वह सुना था कि मारपीट और गाली गलौज हुआ था। साक्षी नें न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त रंजन साह को देखकर पहचान किया तथा अन्य अभियुक्तों को भी देखकर पहचानने का दावा किया है।

उक्त साक्षी नें अपने प्रतिपरीक्षण में कथित किया है कि नोटिस पर आज गवाही देने आया है। न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को इसलिए पहचानता है कि वह उसके गांव का है। घटना को उसने खुद नहीं देखा था। पुलिस उसका बयान नहीं ली थी।

:– निष्कर्ष–:

16. दोनों पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभियोजन की तरफ से विद्वान लोक अभियोजक का तर्क यह है कि अभियोजन के सभी सात साक्षियों ने दोनों पक्षों के बीच सुलह हो जाने के कारण सुलह के आधार पर अपना साक्ष्य दिया है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का भी कथन है कि तथ्य के सभी सातो गवाहों नें अपने बयान में घटना का समर्थन नहीं किया है तथा दोनों पक्षों के बीच राजी खुशी से सुलह हो गई है और सुलहनामा भी न्यायालय में दाखिल है। सूचक नें भी अपने साक्ष्य में कथित किया है कि घटना के बारे में उसे उसकी बहन सोनी कुमारी नें बताया था तथा सोनी कुमारी नें जैसा बताया उसी के आधार पर वह केस कर दी थी। जिस स्थान पर घटना घटी थी उस स्थान पर लगभग आधा घंटा बाद वह पहुंची थी तथा सोनी कुमारी अभियुक्तगण से मेल–मिलाप कर ली है। उसका भाई मिट्ठू कुमार भी मेलजोल कर लिया है तथा हस्ताक्षरित सुलहनामा दाखिल है। न्यायालय यह मुकदमा समाप्त कर दे तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। इस वाद में अभियोजन अनुसंधानकर्ता सहित अन्य सुसंगत साक्षियों का बयान कराने में असफल रहे हैं। दोनों पक्षों में समझौता हो गया है। अतः अभियुक्त दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

17. अभियुक्तगण पर धारा 147, 148, 341/149, 324/149, 307/149, 302/149, 504/149, 323/149, 506/149 भा0दं0सं0 एवं 3(2) (v) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट का आरोप लगाया गया है। दोनों पक्षों के मध्य समझौता हो गया है। दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित तथा उनके अधिवक्ता द्वारा सत्यापित समझौता आवेदन अभिलेख पर उपलब्ध है। सूचक ने समझौते को अपने साक्ष्य में स्वीकार किया है। जहॉ तक अन्य तथ्य के गवाहों का प्रश्न है उसमें से किसी भी अभियोजन साक्षी नें अभियोजन

कथानक का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन साक्षी संख्या–02 जो सूचक है, नें भी कथित करते हुए कहा है कि उसने तथा अन्य पीड़ित साक्षी नें अभियुक्तगण के साथ सुलह कर लिया है तथा हस्ताक्षरित सुलहनामा भी दाखिल किया है। इस प्रकार अभियोजन इस वाद को युक्तियुक्ति संदेहों से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रही है।

–: आदेश :–

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों तथा सुलहनामा के परिशीलन व तार्किक विश्लेषण के उपरांत यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचती है कि अभियोजन अभियुक्तगण सुनील साह उर्फ सुनील कुमार उर्फ सुनील कुमार साह, पे0– स्व0 बंदे लाल साह, उम्र–51वर्ष (A1), चंदन साह उर्फ चंदन कुमार साह, पे0– सीताराम साह, उम्र–33वर्ष (A2), रंजन साह उर्फ रंजन कुमार साह उर्फ रंजन कुमार, पे0– सीताराम साह, उम्र–26वर्ष (A3), ललिता देवी उर्फ लविता देवी उर्फ नबिता देवी उर्फ बबीता कुमारी, पे0– सुनील साह उर्फ सुनील कुमार उर्फ सुनील कुमार साह, उम्र–45वर्ष (A4), चांदनी देवी उर्फ चांदनी कुमारी, पे0– चंदन साह उर्फ चंदन कुमार, उम्र–31वर्ष (A5), आरती देवी उर्फ आरती कुमारी, पे0– राहुल कुमार गुप्ता, उम्र–29वर्ष (A6) तथा दिलीप साह उर्फ दिलीप कुमार साह, पे0– स्व0 बंदे लाल साह, उम्र–67वर्ष (A7) के विरूद्ध धारा 147, 148, 341/149, 324/149, 307/149, 302/149, 504/149, 323/149, 506/149 भा0दं0सं0 एवं 3(2) (v) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के दण्डनीय अपराध के आरोप से पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है तथा उनके जमानतदारों को जमानत के बंधपत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। कार्यालय लिपिक को यह निर्देश दिया जाता है कि वह नियत समय के भीतर अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें तथा निर्णय की एक प्रति जिला पदाधिकारी, अररिया को प्रेषित करें।

sd/-

(विनीत कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट,
अररिया। दिनांक–13.05.2026

यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, शुद्धिकृत करके खुले न्यायालय में उभय पक्षों की उपस्थिति में उद्घोषित किया गया।

ह0/–
(विनीत कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट,
अररिया। दिनांक–13.05.2026

फार्म–स

अभियोजन पक्ष के साक्षियों की सूची :–

अभियोजन पक्ष के साक्षी–

साक्षी की श्रेणी	नाम	साक्षी की प्रकृति
अभियोजन साक्षी सं0–1	हीरामनी कुमारी	प्रत्यक्षदर्शी
अभियोजन साक्षी सं0–2	लालमुनी कुमारी(सूचक)	प्रत्यक्षदर्शी
अभियोजन साक्षी सं0–3	मिट्ठू कुमार	प्रत्यक्षदर्शी
अभियोजन साक्षी सं0–4	रूपचंद दास	प्रत्यक्षदर्शी
अभियोजन साक्षी सं0–5	मुसा अली	प्रत्यक्षदर्शी
अभियोजन साक्षी सं0–6	रामानंद दास	प्रत्यक्षदर्शी
अभियोजन साक्षी सं0–7	सुरेन्द्र दास	प्रत्यक्षदर्शी

अभियोजन पक्ष के द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किया गया हैः–

क्रमांक	दस्तावेज	प्रदर्श
01	लिखित आवेदन पर सूचक का हस्ताक्षर	प्रदर्श–1

2–बचाव पक्ष के प्रदर्श– बचाव पक्ष द्वारा कोई भी मौखिक या दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ह0/–

(विनीत कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट,
अररिया। दिनांक–13.05.2026